न्यायालय उपखण्ड अधिकारी साचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 59/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/206

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
रिड़मलराम पुत्र कोहलाराम वगैरह	नगा पुत्र मूला वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 29.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 06 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम करावड़ी के खाता संख्या 146 खसरा नंबर 327 रकबा 2.580 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण के प्रत्येक के हिस्से में 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में आता है। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ वादपत्र पेश है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 से कब्जा अनुसार उपयोग उपभोग आदि की सुविधा रहे इस हेतु दिनांक 15.07.2025 को अपने अपने हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया तथा उल्टी प्रार्थीगण के कब्जे वाली आराजी जो वाद पत्र में नजरी नक्शें में गुलाबी रंग से दर्शायी भूमि पर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में जबरन दखलंदाजी करने मौके से बेदखल करने की धमकी देने लगे तथा अवैध रूप से प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में कब्जा कर निर्माण करने एवं आराजी का बंटवाड़ा करवाये बगैर विशेष हिस्से का बेचान व हस्तांतरण करने की धमकी दी एवं प्रार्थीगण को अपने कब्जे की खातेदारी भूमि से जबरदस्ती रूप से बेदखल करने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत या अन्य किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बगैर आराजी का कोई भी हिस्सा बेचान क्रय करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी को जो राजस्व रेकर्ड में सामलाती है परन्तु मौका पर उसका विभाजन हो गया है एवं सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है परन्तु अप्रार्थीगण उसका विभाजन करवाये बगैर अवैधानिक रूप से किसी अनजान व अपरिचित एवं बदमाश व लठेतधारी व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने मिलकर प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी उस व्यक्ति को हमें बैचान करना है इसलिए तुम अपना कब्जा इस आराजी से हटा लो वरना हम जबरदस्ती तुमसे कब्जा

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

ले लेंगे। अतः प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि ग्राम करावड़ी के खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 327 रकबा 2.58 हैक्टेयर में वादीगण के कुल आराजी में प्रत्येक के हिस्से में 1/6, 1/6 हिस्सा आता है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 हमारे उक्त खसरा नंबर की भूमि में भूगत भोग में दखलंदाजी न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावें न ही आगे बैचान अथवा हस्तांतरण करें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 06 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर